

भाग-5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है,)

2. राज्य सरकार की सिफारिश :

CF. 3021दाबादकी संस्तुति
के आधार पर स्वीकृति
संस्तुति की जाती है ।

(उपर्युक्त भाग-2, या भाग-3, भाग-4 में किसी
अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल
टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

दिनांक 6/7/21

स्थान :

हस्ताक्षर
Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
नाम व पदनाम Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

सरकारी मोहर